संख्या–2961/9–आ–4–99 350 एन/99 टी0सी0

प्रेषक,

जावेद एहतेशाम,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **समस्त जिलाधिकारी,**
   उत्तर प्रदेश।
2. **उपाध्यक्ष,**
   लखनऊ, देहरादून–मंसूरी विकास प्राधिकरण, उ0 प्र0।

आवास अनुभाग–4 लखनऊ : दिनाँक 03 दिसम्बर, 1999

विषय :नजूल भूमि के फ्री–होल्ड में परिवर्तित किये जाने हेतु दिनाँक 30.6.1999 के उपरान्त आवेदकों से दिनाँक 1.4.1994 को प्रचलित सर्किल रेट लिया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर शासन के समक्ष विभिन्न जनपदों से इस आशय की विभिन्न जिज्ञासाएं की गयी हैं कि शासनादेश संख्या –2268/9–आ–4–98–704 एन/97, दिनाँक 1.12.98 की व्यवस्थानुसार नजूल भूमि के फ्री–होल्ड हेतु स्वमूल्यांकन के आधार पर 25 प्रतिशत धनराशि ट्रेजरी चालान के माध्यम से जमा कराकर दिनाँक 30 जून, 1999 तक आवेदन किये जाने पर भूमि के मूल्य का आकलन दिनाँक 30 नवम्बर, 1991 के सर्किल रेट पर किये जाने की व्यवस्था की गयी है किन्तु उक्त निर्धारित तिथि के उपरान्त स्वमूल्यांकन की निर्धारित धनराशि जमा न कर आवेदन पत्र प्रस्तुत न किये जाने की स्थिति में किस वर्ष के सर्किल रेट पर मूल्य का निर्धारण किया जायेगा।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या–2029/9–आ–4–97–269 एन/97, दिनाँक 26 सितम्बर, 1997 के प्रस्तर 5 (ख) के अन्तर्गत पूर्व में यह व्यवस्था की गयी थी कि दिनाँक 18.8.1997 के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर 01 अप्रैल, 1994 के प्रचलित रेट पर फ्री–होल्ड हेतु मूल्य की गणना की जायेगी। शासनादेश दिनाँक 1.12.98 द्वारा एक निर्धारित समय के लिये 30.11.91 के सक्रिल रेट लागू किये गये थे व समय–समय पर बढ़ाई गयी 30 जून, 1999 तक की बढ़ाई गयी समय सीमा के उपरान्त 1.4.94 के सक्रिल रेट से ही अनुमन्य हो गये हैं। अतः यह स्पष्ट किया जाता है कि वर्तमान नीति शासनादेश दिनाँक 1.12.98 के अन्तर्गत दिनाँक 30.6.1999 के बाद पट्टागत नजूल भूमि के फ्री–होल्ड हेतु प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर दिनाँक 1.4.1994 के प्रचलित सर्किल रेट के आधार पर ही फ्री–होल्ड मूल्य की गणना की जायेगी।

3. ऐसे आवेदक जिनके द्वारा स्वमूल्यांकन की 25 प्रतिशत धनराशि दिनाँक 30.6.1999 तक ट्रेजरी चालान द्वारा जमा की जा चुकी है परन्तु आवेदन इस तिथि के बाद परन्तु 15 दिसम्बर, 1999 तक प्रस्तुत कर दिया जाता है तो उनके प्रकरणों में उपरोक्त प्रस्तर–2 की व्यवस्था लागू नहीं होगी।

4. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अनाधिकृत कब्जों के विनियमितीकरण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–2268/9–आ–4–98–704 एन/97, दिनाँक 1.12.1998 के प्रस्तर–7 में निहित व्यवस्थानुसार विनियमितीकरण/ फ्री–होल्ड की कार्यवाही आवेदन के समय के अद्यतन सर्किल रेट पर ही की जायेगी।

भवदीय,
जावेद एहतेशाम
उप सचिव।